राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
मध्यप्रदेश

8, अरेरा हिल्स ,जेल रोड, भोपाल

भोपाल, दिनांक-29./04/2020

क/एनएचएम/एच.आर./2020/6172

//आदेश//

वीडियो कान्फ्रेस दिनांक 03.04.2020 तथा सचिव भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय नई दिल्ली के अर्धशासकीय पत्र क/7(23)/2020-NHM-I Dt. 7-4-2020 के क्रम में एवं राज्य में कोविड–19 महामारी संकट को दृष्टिगत रखते हुये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश द्वारा सेम्स लिमिटेड के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन प्राप्त कर निर्धारित किये गये मापदंड के आधार पर संविदा **जिला एपिडिमियोलॉजिस्ट** के रिक्त पद पर प्रतीक्षा सूची के पात्र निम्नलिखित अभ्यर्थियों की नाम के सम्मुख दर्शाये गये जिले में एक वर्ष की संविदा आधार पर संविदा नियुक्ति मासिक मानदेय 45000/–प्रतिमाह के आधार पर की जाती है:–

सरल क्र	अभ्यर्थी का नाम	आवंटित जिला
1	Mr. Alimuddin	Dhar
2	Mr. Mohsin Khan	Shajapur
3	Dr. Pramod Singh	Anuppur
4	Mr. Krishna Kant	Sheopur
5	Mr. Mahendra Singh Yadav	Agar Malwa

संविदा सेवा शर्ते निम्नानुसार रहेगी :–

1. संविदा सेवा की शर्ते राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश के मानव संसाधन मैनुअल के अनुरूप होगी।
2. संविदा पद पर नियुक्ति, नियुक्ति आदेश दिनांक से वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक (दिनांक 31 मार्च 2021) के लिये होगी।
3. वार्षिक कार्य आधारित मूल्यांकन में योग्य पाये जाने पर एवं मानव संसाधन के मैनुअल के अनुरूप मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट उपलब्ध कराने पर संविदा अनुबंध को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन म.प्र. द्वारा स्वीकृत अवधि के लिये बढ़ाया जा सकेगा।
4. संविदा अनुबंध के आधार पर नियमितीकरण संबंधी कोई मांग या दावे स्वीकार्य नही होगें।
5. संविदा जिला एपिडिमियोलॉजिस्ट को आदेश प्राप्ति के 07 दिवस के भीतर पदस्थापना स्थल पर उपस्थित होना होगा ।
6. संविदा जिला एपिडिमियोलॉजिस्ट को उपस्थिति पश्चात 07 दिवस के अन्दर संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में जिला मेडिकल बोर्ड का फिटनेस प्रमाण–पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।
7. यदि अपरिहार्य स्थिति में पदभार ग्रहण करने में विलंब होता है तो संविदा जिला एपिडिमियोलॉजिस्ट द्वारा मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
8. संविदा जिला एपिडिमियोलॉजिस्ट द्वारा नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात नियुक्ति प्राधिकारी के साथ राशि रूपये 500/– के गैर न्यायिक बंध पत्र पर अनुबंध निष्पादित कराया जाना होगा, बिना अनुबंध मानदेय का भुगतान नही किया जावेगा। उपरोक्त अनुबंध निर्धारित प्रपत्र में संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं संविदा जिला एपिडिमियोलॉजिस्ट के मध्य निष्पादित किया जायेगा।
9. प्रथम संविदा पर चिकित्सकीय जांच– नियुक्ति के समय अभ्यर्थी द्वारा मेडिकल फिटनेस हेतु स्वयं के व्यय पर जिला चिकित्सकीय बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। चिकित्सा बोर्ड द्वारा किये गये चिकित्सकीय परीक्षण में उपयुक्त पाये जाने पर ही संविदा नियुक्ति वैध होगी।
10. अनुबंध उपरांत संविदा जिला एपिडिमियोलॉजिस्ट को उनके पदस्थापना स्थल पर निवास करना अनिवार्य होगा।
11. संविदा जिला एपिडिमियोलॉजिस्ट को शासन के समस्त राष्ट्रीय कार्यक्रमों के संचालन में सक्रिय रूप से भाग लेना होगा ऐसे कार्यक्रमों में भाग नही लेना कदाचार माना जायेगा।
12. संविदा जिला एपिडिमियोलॉजिस्ट द्वारा कदाचरण करने अथवा किसी आपराधिक कृत्य में लिप्त होने पर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

13. संविदा जिला एपिडिमियोलॉजिस्ट, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन होगें।
14. संविदा पर नियुक्त संविदा जिला एपिडिमियोलॉजिस्ट को नियमानुसार एक वर्ष की अवधि में 13 दिन के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी। एक माह में अधिकतम 3 दिवस के अवकाश की पात्रता होगी। 03 दिवस से अधिक कार्य दिवस हेतु लिये गये निरंतर अवकाश अवधि को अवैतनिक किया जायेगा।
15. मुख्यालय छोड़ने की स्थिति में संविदा जिला एपिडिमियोलॉजिस्ट द्वारा लिखित पूर्वानुमति सक्षम अधिकारी से प्राप्त की जाना होगी।

(स्वाति मीणा नायक)
मिशन संचालक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,मध्यप्रदेश

पृ.क / एनएचएम / एच.आर. / 2020 / 6173 भोपाल, दिनांक– 29 / 04 / 2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. सचिव भारत, सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय नई दिल्ली।
2. अपर मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्यप्रदेश।
3. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्यप्रदेश।
4. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
5. जिला कलेक्टर, धार, शाजापुर, अनूपपुर, श्योपुर, आगर–मालवा, मध्यप्रदेश।
6. गोंडा, ललितपुर, बांदा, लखनऊ, जालौन (उत्तर प्रदेश) के जिला कलेक्टर / जिला मजिस्ट्रेट / जिला डिप्टी कमिश्नर / पुलिस अधीक्षक कृपया संबंधितों के आवेदन पर ई–पास /ट्रेव्लस् पास जारी कर आवश्यक प्रशासनिक सहयोग हेतु।
7. संचालक वित्त एनएचएम मध्यप्रदेश।
8. मुख्य प्रशासकीय अधिकारी,एन.एच.एम. म.प्र.।
9. अपर संचालक, आईडीएसपी, मध्यप्रदेश।
10. म0प्र0 कोविड–19 नियंत्रण कक्ष प्रभारी, मध्यप्रदेश ।
11. उप संचालक, मानव संसाधन / लीगल /आई.टी. एनएचएम, मध्यप्रदेश।
12. उप संचालक, आई.टी. एनएचएम, की ओर भेजकर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
13. उप संचालक, आईडीएसपी, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश।
14. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला धार, शाजापुर, अनूपपुर, श्योपुर, आगर–मालवा, मध्यप्रदेश की ओर लेख है कि संबंधित को आवश्यक होने पर वाहन एवं पास उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें एवं अभ्यर्थियों के आवेदन के समय अपलोड दस्तावेजों की साफ्टकॉपी मेल के साथ उनके मूल दस्तावेजो के साथ मिलान हेतु भेजी जा रही है, उपस्थिति पश्चात् जानकारी इस कार्यालय को ईमेल ddhrnhm@mp.gov.in पर प्रेषित करें।
15. संबधित जिला कार्यकम प्रबंधक जिला धार, शाजापुर, अनूपपुर, श्योपुर, आगर–मालवा, एनएचएम मध्यप्रदेश ।
16. उप संचालक, मानव संसाधन / लीगल /आई.टी. एनएचएम, मध्यप्रदेश।
17. Mr. Gautamnath (MD & CEO), Strategic Alliance Management Service Pvt. Ltd, 1/1-B Ground Floor, Chaudhury Hetram House, Bharat Nagar, New Friends Colony, Near Mata Ka Mandir, New Delhi – 110025
18. सर्व संबंधितों की ओर पालनार्थ ।
19. आदेश नस्ती।

मिशन संचालक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश